संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारें दिया जाना

669. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों को प्राथमिकता और बिना बारी के आधार पर मारुति 800 कारें कितने-कितने अन्तराल पर बेची जाती हैं;

(ख) इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3 अप्रैल, 1987 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार संसद सदस्य विनिर्माता कोटे से मारुति वाहनों के आबंटन के लिए पात्र हैं। विनिर्माता कोटे से उसी व्यक्ति को दूसरा आबंटन पुराने आबंटन की डिलिवरी की तारीख के चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

Take over of M/s. Larsen and Toubro Ltd. by Reliance Industries

670. SHRI A.G. KULKARNI: DR. BAPU KALDATE: SHRI VISHWASRAO RAM RAO PATIL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstar-red Question 1213 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 1988 and state:

(a) whether any information has been supplied by M/s. Reliance Industries as regards take over of M/s. Larsen and Toubro Limited and if so, what are the names of Directors on behalf of Reliance;

(b) what is the date on which the proposal was referred to the Ministry under Section 23(4) of the MRTP Act, 1%9; and

(c) whether Government have permit ted such take over?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DE VELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Shri Mukesh D. Ambani, Shri M.L. Bhakta and Shri Anil D. Ambani, who are Directors of M/s. Reliance Industries Ltd., have been appointed as Additional Directors of M/s. Larsen and Toubro Ltd. Government have not received any proposal for takeover of M/s. Larsen and Toubro Ltd. under section 23(4) of the MRTP Act, 1969, from M/s. Reliance Industries Ltd.

(c) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

671. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तिगत लोगों को अनुदान या ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 में दिसम्बर, 1988 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में राज्य बोर्ड की मार्फत या सीधे कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है कुल कितनी समितियों, संस्थाओं एवं व्यक्तिगत लोगों को यह सहायता दी गयी है;

(ग) इनमें उन संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के पश्चात अपने-अपने उद्योग चालू कर दिए थे तथा इस अवधि के दौरान वर्ष-वार कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया गया; और

(घ) क्या इन में से कुछ संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा ऋणों का वापस भुगतान कर दिया गया है; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 (31-12-88 तक) के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वितरित राशि	(रु० करोड़ में)			
1987-88	1988-89 (31-12-88 तक)			
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
खादी	43.69	24.99	31.04	13.31
ग्रामोद्योग	13.57	53.58	11.92	33.57

जिन सहकारी समितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा सहायता दी गयी थी उनकी संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपयुक्त भाग "ख" में उल्लिखित अवधि के दौरान वितरित किए गए ऋणों का वापस भुगतान अभी तक देय नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों और कारीगरों की आय

672. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीतसिंह अरोड़ा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य बोर्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों में श्रमिकों व कारीगरों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 और दिसम्बर, 1988 में यह संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन उद्योगों में कार्य कर रहे कारीगरों द्वारा अर्जित वार्षिक आय का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि इनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित की गयी आय की सीमा से अधिक नहीं है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिकों एवं कामगारों की संख्या वर्षों से बढ़ रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में दिये गये रोजगार का योग नीचे दिया गया है:

1986-87	40.70 लाख
1987-88	41.80 लाख

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन करने वाली विभागीय एककों एवं खादी संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए काम के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है। खादी क्षेत्र निम्नलिखित श्रमिकों/कारीगरों को औसत मजदूरी प्रदान करता है जो प्रतिदिन 8 घंटे पूरे समय कार्य करते हैं:

—नये मॉडल- चरखे पर खादी कताई करने वालों को 10 रु० से 20 रु० प्रतिदिन तक।

—संशोधित करघों पर खादी बुनकरों को 15 रूत से 30 रु० प्रतिदिन तक।

ग्रामोद्योग के मामले में संस्थानों द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक, जो अधिकांश सहकारी क्षेत्र में है कार्यकलाप से कार्यलाप और उद्योग से उद्योग में भिन्न-भिन्न है। तथापि, ग्रामोद्योग के अधीन, एक कारीगर की औसत प्रतिदिन आय 15 रु० से 25 रु० के बीच है।

हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति

673. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह